

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 1972/आषाढ़ 16, 1894

No. 327] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 1972/ASADHA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 7th July 1972

S.O. 480(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that with the onset of monsoon, the supplies of milk have increased so as to secure its equitable distribution in the areas comprising the Union Territory of Delhi and the Districts of Meerut and Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

In sub-clause (3) of clause 1 of the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1972 as notified in Order No. S.O. 342(E), dated 6th of May, 1972, the following amendment shall be made:—

For the words

“and shall cease to operate on the 16th of July 1972”

substitute the words

“and shall cease to operate on the 9th of July 1972”.

[No. 19-4/72-LDI.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1972

एस० न्रो० 480(अ)—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मौनसून के प्रारम्भ होने से दूध की आपूर्ति में काफी वृद्धि हो गई है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों सहित संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रों में दूध के समूचित वितरण के लिए :—

भारत सरकार अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है:—

दिल्ली, मेरठ, बुलन्दशहर दूध और दुग्ध उत्पाद, नियन्त्रण आदेश, 1972 के खण्ड 1(iii) में जैसा कि आदेश सं० सा० का० 342 (अ०) दिनांक 6-5-72 में अधिसूचित किया गया था, निम्न संशोधन किये जाते हैं :—

“16 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त नहीं रहेगा” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

“9 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त नहीं रहेगा”।

[सं० 19-4/72-पा० वि०-1]

एस० जे० मजुमदार

अपर सचिव, ।